कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक–03, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 62/आ.उ.शि./2020 नवा रायपुर, दिनांक 12/03/2020

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय (शासकीय एवं अशासकीय),
छत्तीसगढ़

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय (शासकीय एवं अशासकीय),
छत्तीसगढ़

विषय– नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है: –

1/ कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु सभी शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया जाता है।

2/ उपरोक्त अवधि में होने वाली वार्षिक परीक्षाएं यथावत संचालित होती रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

12/3

(श्रीमती शारदा वर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 63/आ.उ.शि./2020 नवा रायपुर, दिनांक 12/03/2020

प्रतिलिपि: –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर– आज दिनांक 12 मार्च 2020 को दूरभाष पर दिये गये निर्देश के संबंध में पुष्टि हेतु अग्रेषित।
3. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
6. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/जगदलपुर/अम्बिकापुर
7. अपर संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।

12/3

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर (छ.ग.)